न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 102/2023 (GCMS : 2023/175)

1. **सुरेन्द सिंह उर्फ राजविन्द्र सिंह** पुत्र श्री दल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी 7 के.आर.डब्ल्यू तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **रूपेन्द्र कौर** पत्नी श्री हरेन्द्र सिंह
2. **विक्रमजोत सिंह** पुत्र सुरेन्द्र सिंह उर्फ राजविन्द्र सिंह
3. **राजवंश कौर** पत्नी सुरेन्द्र सिंह उर्फ राजविन्द्र सिंह
4. **जगमनजोत सिंह** पुत्र श्री हरेन्द्र सिंह
5. **सुखमनजोत सिंह** पिसर मुतवन्ना हरजीत सिंह
6. **हरतेज कौर** पुत्री श्री हरगोविन्द सिंह
7. **हरेन्द्र सिंह** पुत्र श्री दल सिंह

   अकवाम जटसिख, साकिन ढाणी 7 के.आर.डब्ल्यू. तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)
8. **राजस्थान सरकार** जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर
9. **श्री योगेश सिंह देवल** उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.03.2024

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री दिनेश छाबड़ा उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद 131/2023 अनवानी रूपेन्द्र कौर बनाम स्टेट वगै. में प्रार्थी ने निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है, इसलिए इस मुंतकिली प्रार्थना पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण होने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को खारिज किया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 131/2023 अनवानी रूपेन्द्र कौर बनाम स्टेट वगैरहा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:44 IST
Reason: SelfAttested